सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/SER-1416/MRLY/5/2024-RO-RNC-RU-IV दिनांक: 16/06/2025

1 **महाप्रबंधक**
पूर्वी रेलवे भारतीय रेल,
नेताजी सुभाष रोड फेयरली प्लेस,
कोलकाता,
पश्चिम बंगाल 700001

2 **मंडल रेल प्रबंधक**
कार्यालय मंडल रेल प्रबंधक,
डीआरएम बिल्डिंग पूर्वी रेलवे,
आसनसोल डिवीजन,
आसनसोल, पश्चिम बंगाल - 713301

विषय: अभ्यावेदक श्री अभिलाष लकड़ा, ट्रेनिंग टिकट इंस्पेक्टर, आसनसोल रेल्वे स्टेशन, पूर्वी रेल्वे (पश्चिम बंगाल) में पदस्थ से प्राप्त अभ्यावेदन " उनके विभाग द्वारा उनके हाजिरी रजिस्टर में छेड़छाड़ कर बिना कोई कारण के जॉइनिंग न करने देने तथा मानसिक एवं आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने के संबंध में ।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 30.05.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको सूचनार्थ प्रेषित है।

(एच.आर. मीना/H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
दूरभाष सं.: 011-24615012
ई-मेल: hari.rammeena@ncst.nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री अभिलाष लकड़ा,
मिचयारी लेन, कोर्रा हेट टोला,
जिला – हजारीबाग (झारखंड)
मो न :9934955030.

(ii) PS to Humble Member (Dr. Asha Lakra)
(iii) NIC for uploading

सत्यमेव जयते
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं. NCST/SER-1416/ MRLY/5/2024 RO-RNC

माननीय सदस्य महोदया, डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के दिनांक 30.05.2025 समय 03:20 बजे सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त – श्री अभिलाष लकड़ा, पूर्व ट्रेनिंग टिकट इंस्पेक्टर, आसनसोल रेलवे स्टेशन, पूर्वी रेलवे को बिना पक्ष सुने रेलवे द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के संबंध में।

बैठक की तिथि : 30.05.2025 सुबह 03:20 बजे
प्रतिभागियों की सूची – संलग्नक

श्री अभिलाष लकड़ा, ट्रेनिंग टिकट इंस्पेक्टर, आसनसोल रेलवे स्टेशन, पूर्व रेलवे (पश्चिम बंगाल) (स्थायी पता-मिचयारी लेन, कोर्रा हेट टोला, जिला – हजारीबाग (झारखंड)) ने अपने अभ्यावेदन दिनांक 25.05.2024 में बताया है कि वे आसनसोल रेलवे स्टेशन, पूर्व रेलवे (पश्चिम बंगाल) में ट्रेनिंग टिकट इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है। रेलवे विभाग द्वारा झूठा आरोप लगाया गया है तथा यह भी बताया की दिनांक 02.05.2021 से पूरे मई माह 2021 में अनुपस्थित थे ,किन्तु उन्हे पूरे महीने (31 दिन) का वेतन भी प्रदान किया गया है जो कि आश्चर्यजनक बात है। इसकी जांच किए जाने के संबंध में, पूर्व में भी अपने विभाग प्रमुख को लिखित आवेदन किया, जिस पर अभी तक कोई कारवाई नहीं की गई। विभाग द्वारा कार्यस्थल को जॉइन नहीं करने दिया जा रहा जिससे, मानसिक एवं आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है।

2. NCST ने नोटिस दिनांक 17.06.2024 के द्वारा महाप्रबंधक, पूर्व रेलवे, कोलकाता एवं मंडल रेल प्रबंधक, पूर्व रेलवे, आसनसोल को 15 दिनों के अंदर तथ्य तथा आख्या भेजने हेतु आग्रह किया।

3. इसके उत्तर में NCST को दिनांक 18.07.2024 के पत्र के माध्यम से तथ्य तथा आख्या प्रस्तुत किया, जिसमें यह कहा गया है कि CIT(G)/ASN ने 02.05.2021 से अनधिकृत रूप से श्री अभिलाष लकड़ा के बारे में कई बार शिकायत की है। सक्षम प्राधिकारी ने अभ्यावेदक की एआर की जांच रिपोर्ट अनुशासन प्राधिकारी को भेजी, हालांकि श्री लकड़ा कभी भी जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अनुशासन प्राधिकारी ने रिपोर्ट और अन्य उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर निर्णय लिया कि श्री लकड़ा को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश दिया जाए। रेलवे के इस पत्र को, आयोग ने समसंख्यक पत्र दिनांक 27.09.2024 के माध्यम से आवेदक को सूचना हेतु भेजा।

4. इसके प्रत्युत्तर में अभ्यावेदक ने दिनांक 19.10.2024 के पत्र के माध्यम से असंतुष्टि प्रकट की तथा न्याय की मांग की। आयोग ने इस प्रकरण में दिनांक 18.11.2024 को रेलवे के अधिकारीगण एवं आवेदक के साथ सुनवाई की। सुनवाई के उपरांत निम्नलिखित अनुशंसाएँ प्रस्तुत की गईं :

आवेदक की उपस्थिती रजिस्टर दिनांक 01.05.2021 से 30.06.2021 तक की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराएं।

आशा लकड़ा

6th Floor, 'B' Wing Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi - 110003, Website: www.ncst.nic.in
Tel.: 011-24601346, 011-24620638 Toll Free: 1800117777

- जांच रिपोर्ट (Inquiry Report) की प्रति प्रदान करें।
- आवेदक को सलाह दी जाती है कि वह अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष 15 दिन के भीतर अपील प्रस्तुत करें।
- रेलवे प्रशासन, आवेदक की अपील पर मानवीय आधार पर मामले पर पुनर्विचार करे।

5. सुनवाई के दौरान रेलवे विभाग की ओर से प्रभागीय रेलवे प्रबंधक असनसोल आयोग के समक्ष उपस्थित हुए, जबकि आवेदक उपस्थित नहीं हुए।

मामले में आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुसंशाए की गयी :

i. सुनवाई के दौरान रेलवे द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि मामले का समाधान हो चुका है एवं शिकायतकर्ता को पुनः नौकरी में बहाल कर लिया गया है। इसलिए, मामले में आगे कोई कार्रवाई आयोग से अपेक्षित नहीं है। तदनुसार, इस प्रकरण को आयोग में बंद किया जाता है।

आशा लकड़ा
12/06/2026

(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्या
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/SER-1416/MRLY/5/2024-RO-RNC

Sitting to be held on **30.05.2025 at 03:20 P.M-** अभ्यावेदक श्री अभिलाष लकड़ा, ट्रेनिंग टिकट इंस्पेक्टर, आसनसोल रेल्वे स्टेशन, पूर्वी रेल्वे (पश्चिम बंगाल) में पदस्थ से प्राप्त अभ्यावेदन " उनके विभाग द्वारा उनके हाजिरी रजिस्टर में छेड़छाड़ कर बिना कोई कारण के जॉइनिंग न करने देने तथा मानसिक एवं आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने के संबंध में ।

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav Deputy Secretary		
3	Shri H.R. Meena Research Officer		
4.	Shri Rahul Investigator		
5.	Ms. Riya Investigator		
6.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
7.			
8.			
II	**Officers from O/o General Manager, Eastern Railway, Kolkata** **Officers from O/o Divisional Railway Manager, Eastern Railway, Kolkata**		
1.	R.K. Paswan APO/D/ER/Asansol	DRM/Asansol 9002023624	Rajesh 30/5/25
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			